भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.3713

जिसका उत्तर 18.03.2021 को दिया जाना है

ऑटो रिक्शा में मॉडिफिकेशन/फिटमेंट के मामले

3713. श्री भोलानाथ 'बी.पी.सरोज':

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले तीन सीटों वाले ऑटो रिक्शा (टीएसआर) के पिछले फेंडरों पर नुकीली स्टील छड़ें लगी हैं जो दूसरे वाहनों को नुकसान पहुंचाती हैं और इससे सड़क पार करने वालों को चोट लगने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त फिटमेंट को कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसे कितने वाहनों/टीएसआर को दंड दिया है/का चालान किया गया है; और

(घ) दिल्ली में इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण वाहनों/टीएसआर के विरूद्ध क्या कड़े कदम उठाए गए हैं और दिल्ली में टीएसआर/वाहनों में ऐसे मॉडिफिकेशन/फिटमेंट को रोकने के लिए आगे क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): मंत्रालय के संज्ञान में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं आया है।

(ख): मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 52 के अनुसार मोटर वाहनों में कोई भी अनधिकृत परिवर्तन कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

(ग): वाहन में अनधिकृत परिवर्तन करने के लिए पिछले तीन वर्षों (2018 से 2020 तक) में कुल तीन टीएसआर वाहनों पर मुकदमा चलाया गया है। टीएसआर के पिछले फेंडरों पर लगी स्टील की छड़ के मामले में अभियोजन का कोई अलग रिकॉर्ड नहीं रखा गया है।

(घ): यदि परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा, जीएनसीटीडी के संज्ञान में ऐसा कोई उल्लंघन आता है, तो दोषी वाहन के खिलाफ मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182क (4) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है, जिसमें ऐसी अवधि के कारावास की सजा, जो छह माह तक की हो सकेगी या 5000 रुपये प्रति ऐसे परिवर्तन का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

*****